



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को (02 वर्ष 04 माह 20 दिवस) का कारावास व ₹1200 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 297/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त किशन यादव पुत्र गणेश यादव नि0 रमेड़ीडांडा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए (02 वर्ष 04 माह 20 दिवस) का कारावास व ₹1200 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
पीओ श्री विकास



विवेचक-
उ0नि0 तौकीर
अहमद



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का0 सोमनाथ